

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.10(35)नविवि/3/2010पार्ट

जयपुर, दिनांक:

01 FEB 2022

आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 24.06.2019 के द्वारा परिधि नियंत्रण पट्टी में राजस्व ग्रामों की आबादी के 500 मीटर की परिधि में स्थित निजी कृषि भूमि पर शैक्षणिक, चिकित्सा एवं आवासीय उपयोग निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप अनुज्ञेय किये गये हैं।

उक्त आदेश के अन्तर्गत परिधि नियंत्रण पट्टी में स्थित राजस्व ग्रामों की आबादी के 500 मीटर की परिधि में शैक्षणिक उपयोग के अन्तर्गत महाविद्यालय भी निम्न मानदण्डों के अनुसार अनुज्ञेय होंगे:-

क्र. स.	उपयोग	भूखण्ड क्षेत्रफल (न्यूनतम/अधिकतम)	भूखण्ड के सामने सड़क की न्यूनतम चौड़ाई (विद्यमान अथवा प्रस्तावित)
1.	महाविद्यालय	संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप	न्यूनतम 18 मीटर

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वयत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका को निर्देशित किये जाने हेतु।
5. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
9. उप विधि परामर्शी/उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम